



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 5-2024/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JANUARY 5, 2024 (PAUSA 15, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 जनवरी, 2024

संख्या 09/06/2024/4CII.— हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन नियम, 1977 के नियम 3 के साथ पठित हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 10 की उप-धारा (8) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी की गई सभी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा **नगर परिषद, पटौदी मण्डी, जिला गुरुग्राम** के आम चुनाव के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित सीटों की संख्या आरक्षित करते हैं, अर्थात्—

अनुसूची

							सीटों की संख्या					
क्रम संख्या	जिले का नाम	नगरपालिका का नाम	हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से प्राप्त की गई जनसंख्या या सम्बन्धित नगरपालिका क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं के 140 प्रतिशत में से जो भी अधिक हो, के अनुसार जनसंख्या के आंकड़ें		जनगणना वर्ष 2011 के आंकड़ों अनुसार जनसंख्या		अनुसूचित जातियों के लिए कुल सीटें (अनुसूचित जातियों की महिलाओं सहित)	अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें (अनुसूचित जातियों की सीटों के एक-तिहाई से कम नहीं)	पिछड़े वर्ग 'क' के लिए कुल सीटें (पिछड़े वर्ग 'क' की महिलाओं सहित)	पिछड़े वर्ग 'क' से सम्बन्धित महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें (पिछड़े वर्ग 'क' की सीटों के एक-तिहाई से कम नहीं)	महिलाओं के लिए कुल सीटें (कुल सीटों की एक-तिहाई से कम नहीं सीटें)	कुल सीटें
			कुल जनसंख्या	पिछड़े वर्ग 'क' की जनसंख्या	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जातियों की जनसंख्या						
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)	(ट)	(ठ)	(ड)
1	गुरुग्राम	पटौदी मण्डी	56782	8042	53795	12953	5	2	2	1	8	22

विकास गुप्ता,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 5th January, 2024

No. 09/06/2024/4CII.— In exercise of the powers conferred under sub-section (8) of section 10 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) read with rule 3 of the Haryana Municipal Delimitation of Ward Rules, 1977 and in supersession of all previous notifications issued in this behalf by the Haryana Government, Urban Local Bodies Department, the Governor of Haryana hereby reserves the following number of seats for **Municipal Council, Pataudi Mandi, District Gurugram** mentioned in the Schedule given below for the purposes of general election, namely :-

Schedule

Serial number	Name of District	Name of Municipality	Population figures as drawn from the Family Information Data Repository (FIDR) established under the provisions of the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021) or 140 per centum of the registered electors of the concerned municipal area, whichever is higher.		Population figures as per census 2011		Number of seats					
							Seats for Scheduled Castes (including Scheduled Castes women)	Seats for Scheduled Castes women (not less than one-third of Scheduled Castes seats)	Seats for Backward Classes 'A' (including Backward Classes 'A' women)	Seats for Backward Classes 'A' Women (not less than one-third of the Backward Classes 'A' seats)	Seats for women (not less than one-third of the total seats)	Total seats
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
1	Gurugram	Pataudi Mandi	56782	8042	53795	12953	5	2	2	1	8	22

VIKAS GUPTA,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.